न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गूर्जर, R.A.S.

प्रकरण सख्याः-74 / 2024 दायर दिनांकः-31.05.2024

जीसीएमएस नं. 202 / 155

1. पंखी पुत्र बत्तूलाल मीना, उम्र 56 वर्ष, निवासी – दानालपुर तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली।

———सायल

बनाम

1. धनीराम पुत्र बत्तूलाल, निवासी दानालपुर तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील श्रीमहावीरजी ,जिला –करौली।
3. सब रजिस्ट्रार, तहसील कार्यालय, श्रीमहावीरजी, जिला– करौली।

——गैरसायालन–03

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– 1. श्री नरेन्द्र सिंह जादौन, अधिवक्ता सायल
2. श्री मुकेश चौधरी, अधिवक्ता गैरसायल नं.–1

निर्णय दिनांक 5-11-24

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खाता सं 197, खसरा नं. 351 रकबा 0.16 है0 स्थित ग्राम पटोंदा में सायल हिस्सा 1/20 की आराजी का एवं अन्य गैरसालयान शेष हिस्से की आराजी के खातेदार कास्तकार है।

आराजी खाता सं. 610 खसरा नं. 278/1423 रकबा 0.12 है0, खसरा नं. 280 रकबा 0.33 है0, खसरा नं. 281 रकबा 0.16 है0, खसरा नं. 287 रकबा 0.14 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.75 है0, स्थित ग्राम पटोंदा में सायल हिस्सा 1/20 की आराजी का एवं अन्य गैरसायलान शेष हिस्से की आराजी के खातेदार काश्तकार हैं।

आराजी खाता सं. 608 खसरा नं. 347 रकबा 0.07 है0, खसरा नं. 355 रकबा 0.25 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.32 है0, स्थित ग्राम पटोंदा में सायल हिस्सा 1/20 की आराजी का एवं अन्य गैरसायलान शेष हिस्से की आराजी के खातेदार काश्तकार हैं।

आराजी खाता सं. 607 खसरा नं. 350 रकबा 0.12 है0, खसरा नं. 353 रकबा 0.14 है0, खसरा नं. 354 रकबा 0.14 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 है0, स्थित ग्राम पटोंदा में सायल हिस्सा 1/20 की आराजी का एवं अन्य गैरसायल शेष हिस्से की आराजी के खातेदार काश्तकार हैं।

सायल आराजी खाता सं. 197 की भूमि रकबा 0.16 है0,खाता सं. 610 की भूमि रकबा 0.75 है0,खाता सं. 608 की भूमि रकबा 0.32 है0, खाता सं. 607 की भूमि रकबा 0.40 है0, कुल रकबा 1.63 है0 में सायल हिस्सा 1/20 की आराजी का खातेदार काश्तकार है। जिसमें सायल के हिस्से में बाहमी बंटवारे में भूमि खसरा नं. 351 रकबा 0.16 है0 का सडक सहारे का 8.15 ऐयर रकबा करीब 25 वर्ष पूर्व से कब्जे में दिया गया है, जिस पर सायल वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज व दखिल हैं। इस प्रकार सायल का प्रथमदृष्टया केश बखूबी प्रमाणित है।

सायल के हिस्से व कब्जे में चली आ रही आराजी खसरा नं. 351 के सडक सहारे के 8.15 ऐयर रकबा में सायल के करीब 4 ट्रोली खंडे दिनांक 27.09.2016 से बाउंड्री बनवाने हेतु रखे हुये हैं, एवं उक्त आराजी को सायल साल दर साल फसल काश्त करने के उपयोग में लेता है, जिससे गैरसायलान का कोई संबंध किसी प्रकार से नहीं है।

सायल अपने बच्चों के साथ भारत सरकार की सरकारी नौकरी में दिल्ली में रहकर जीवन व्यतीत करता है, सायल के परिवार की उन्नति से गैरसायल सं. 1 रंजिश रखता है,इसलिये गैरसायल सं. 1 ने दिनांक 30.05.2024 व इससे पूर्व कई बार सायल को स्पष्ट रूप से धमकी दी की सायल के हिस्से,कब्जे,हक व अधिकार में चली आ रही आराजी खसरा नं. 351 के सडक सहारे के 8.15 ऐयर रकबा पर से सायल को बेदखल कर, कब्जा कर, पाटोरपोष का निर्माण करेंगे,मिट्टी डालकर खेत को नाकाबिल काश्त बनायेंगे, और सायल के ही रखे हुये खंडों से पुख्ता बाउंड्री बनाकर ,रहन व्यय कर अंतरित करेंगे, इस पर सायल ने गैरसायल सं 1 धनीराम से बाहमी बंटवारे के अनुरूप तहसील चलकर बंटवारा करवाने को कहा तो गैरसायल सं. 1 धनीराम ने इंकार कर दिया और कहा कि मैं कोई बंटवारा कराने नहीं जाउंगा। मैं तो तुम्हें उक्त आराजी से बेदखल कर, अपना कब्जा कर, पाटोरपोश निर्माण कर , रहन व्यय कर अंतरित करूंगा, सायल के काफी समझाने पर भी गैरसायल सं. 1 धनराम मानने को तैयार नहीं हुये, इसलिये एवं अन्य गैरसायलान भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार होने, लैण्ड लोर्ड होने के कारण जरूरी पक्षकार होने के कारण उन्हें पक्षकार मुकदमा बनाकर प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है।

गैरसायलान द्वारा सायल के हक,अधिकार व कब्जे ,खातेदारी भूमि पर से सायल को बेदखल कर,कब्जा कर, पाटोरपोश,बाउंड्रीवाल का निर्माण कर, मिट्टी का भर्त कर, भूमि को नाकाबिल काश्त बनाने, रहनवय कर अंतरित करने, एवं सायल के उपयोग उपभोग में अवरोध व व्यवधान करने और बंटवारा नहीं करवाने की धमकी दी है, जिसमें गैरसायलान यदि सफल हो गये, तो सायल को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ती दृव्य में किया जाना संभव नहीं होगा। सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायल स्वीकार कर, गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान संयुक्त आराजी भूमि मुताबिक मुतजिका उसके हिस्से के तौर पर बाहमी बंटवारे में कब्जे हिस्से में दी गई आराजी खसरा नं. 351 रकबा 0.16 है0 स्थित ग्राम पटोंदा में से हिण्डोन श्रीमहावीरजी रोड सहारे के 8.15 ऐयर रकबा सायल को उसके हिस्सानुरूप बाहमी बंटवारे में दिये गये खेत में फसल काश्त कर उपयोग उपभोग करने में कोई अवरोध या व्यवधान स्वयं या अपने प्रतिनिधि के जरये पैदा नहीं करें, उक्त आराजी भूमि पर से सायल को बेदखल कर, पाटोरपोश या अन्य कोई निर्माण नहीं करें, मिट्टी डालकर या अन्य किसी प्रकार से कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर, आराजी को रहन व्यय कर अंतरित नहीं करें, गैरसायलान ऐसा कोई कृत्य नहीं करें, जिसके कारण उक्त भूमि के संबंध में सायल को प्राप्त विधिक हक व अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 2 व 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध आदेशिका दिनांक 23.09.2024 के तहत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। गैरसायल नं. 1 की ओर से श्री मुकेश चौधरी जरिये वकालतन उपस्थित आये एवं जबाव प्रा0 पत्र पेश किया जो आदेशिका दिनांक 23.09.2024 से शामिल पत्रावली किया गया जो निम्नानुसार हैः–

1. प्रार्थना पत्र के मद न0 01 में सायल द्वारा कतई गलत एवं झूंठ दावा पेश करना स्वीकार है जिसमें सायल को सफलता का कोई चान्स नहीं है।
2. प्रार्थना–पत्र का मद नंबर 2 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, स्वीकार है।
3. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 3 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, स्वीकार है।
4. प्रार्थना पत्र का मद नंबर 4 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, स्वीकार है।
5. प्रार्थना पत्र का मद नंबर 5 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, स्वीकार है।
6. प्रार्थना पत्र का मद नंबर 6 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, कतई गलत एवं झूंठा होने के कारण अस्वीकार है। सायल अपने हिस्से की आराजीयात पर काबिज है, तथा गैरसायल सं. 1 अपने हिस्से की आराजी पर काबिज एवं दखील है। सायल का कोई प्राईमाफेसी केस साबित नहीं है। सायल ने गैरसायल को महज हैरान परेशान की गरज से कतई गलत एवम प्रार्थना पत्र हाजा पेश कर दिये है जो कि सरीहन खारिज किये जाने योग्य है।
7. प्रार्थना पत्र के मद न0 07 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, कतई गलत एवं झूंठा होने के कारण अस्वीकार है।
8. प्रार्थना पत्र के मद न0 08 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, कतई गलत एवं झूंठा होने के कारण अस्वीकार है। सायल के कोई 4 ट्रोली खण्डे दिनांक 27.09.2016 से बाउण्डी बनवाने हेतु नहीं रखे हुए है। इस मद में दर्ज बाते गलत दर्ज की गयी है।

9. प्रार्थना पत्र के मद न0 04 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, कतई गलत एवं झूंठा होने के कारण अस्वीकार है। सायल के परिवार की उन्नति से गैरसायल न0 1 कोई रजिंश नहीं रखता है। गैरसायल स0 1 दिनांक 30.05.2024 को व इससे पूर्व कभी भी सायल को कोई धमकी किसी प्रकार की नहीं दी। गैरसायल स0 1 ने सायल को आराजी खसरा 351 के सडक सहारे के 8.15 ऐयर रकबा पर कब्जा करने व सायल को बेदखलकर कब्जा कर पाटोर पोश का निर्माण करने की धमकी नहीं। और मिट्टी डालकर खेत को नाकाबिल काश्त बनाने क भी कोई धमकी नहीं दी। और खण्डो से पुख्ता बाउण्ड्री बनाकर रहन वय करने की कोई धमकी नहीं दी। सायल ने गैरसायल स0 1 से बाहमी बटवारा के लिये तहसरल चलकर बंटवारा करवाने को नहीं कहा है। और सायल को बेदखल करने की धमकी नहीं दी, और पाटौर पोश निर्माण करने रहन व्यय करने व अंतरिम करने की कोई धमकी नहीं दी। इस मद में दर्ज तमाम बाते कतई गलत एवम झुठी होने के कारण अस्वीकार है। सायल गैरसायल स0 1 को महज हैरान परेशानप करने की गरज से उक्त वाद पत्र व प्रार्थना पत्र हाजा पेश कर दिये है जो कि खारिज योग्य है।

10. प्रार्थना पत्र का मद न0 10 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, कतई गलत एवं झूंठा होने के कारण अस्वीकार है। गैरसायल स0 1 ने सायल को सायल के हक, अधिकार व कब्जे, खातेदारी भूमि पर से सायल को बेदखल कर, कब्जा कर, पाटौर पोश, बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर मिट्टी कर भूमि को नाकाबिल काश्त कराने, रहन व्यय कर अंतरिम करने एव सायल के उपयोग उपभोग में अवरोध व व्यवधान करने और बटवारा नहीं करने की कोई धमकी नहीं दी है। इस मद में सायल ने तमाम बातें कतई गलत एवम झूंठी दर्ज की गयी है। सायल स्वयं की नीयत में बदायंति है। वह इस झूठे मुकदमा की आड में गैरसायल स0 1 के हिस्से में आयी भूमि को जबरन छीनना चाहता है।

11. प्रार्थना पत्र का मद न0 11 गलत है। अस्वीकार है।

12. प्रार्थना पत्र में चाही गयी रिलीफ से इंकारी है।

जबाब शामिल पत्रावली किया गया एवं गैरसायल न0 02 ता 03 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं जिससे आदेशिका दिनांक 23.09.2024 से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति जमाबंदी स0 2073–76 खाता संख्या 197, जमाबंदी स0 2073–76 खाता संख्या 610, जमाबंदी स0 2073–76 खाता संख्या 608, जमाबंदी स0 2073–76 खाता संख्या 607 वाके ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है, साथ ही गैरसायलान वकील द्वारा अपनी बहस में जबाब

प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को नकारते हुए सायल का प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति जमाबंदी स0 2073–76 खाता संख्या 197, जमाबंदी स0 2073–76 खाता संख्या 610, जमाबंदी स0 2073–76 खाता संख्या 608, जमाबंदी स0 2073–76 खाता संख्या 607 वाके ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी सायल व गैरसायल स0 1 एवं अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज रिकार्ड है। दस्तावेज एंव उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो हम हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सायल व गैरसायल न0 1 एवं अन्य सहखातेदारभी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं अतः प्रकरण में उभयपक्ष की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 31.05.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में खसरा न0 351 वाके ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति एवं निर्माण कार्य नहीं करना ताफैसला बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 05.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

5/11/24

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन